



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 19.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 212/2023 धारा 302 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06/03/2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.खराती पुत्र अतरे, 2.सुखपाल पुत्र गजराज, 3.ओमी पुत्र हरलाल व 4.ओमवीर पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत ने वादिया के पति ओमकुमार उम्र करीब 48 वर्ष की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 212/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 212/2023 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त ओमी उर्फ ओमेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ओमी उर्फ ओमेन्द्र पुत्र हरलाल सिंह निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1 मु0अ0सं0 212/2023 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2 मु0अ0सं0 677/2019 धारा 304/404 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-थानाध्यक्ष श्री संजय सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-है0का0 478 मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

3-है0का0 506 विकास थाना कोतवाली बागपत ।



**प्रेस नोट**

**थाना कोतवाली बागपत**

**दिनांक 19.03.2023**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 250/23 धारा 323/352/354/308 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 250/23 धारा 323/352/354/308 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त पंकज को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

पंकज पुत्र जयपाल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 का0 511 धर्मेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।

3-का0 333 नितेश थाना कोतवाली बागपत ।



**प्रेस नोट**

**थाना कोतवाली बागपत**

**दिनांक 19.03.2023**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/23 धारा 352/323/504/354 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/23 धारा 352/323/504/354 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी जौनमाना थाना बडौत हाल निवासी आवास विकास कालौनी बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 19.03.2023

**थाना चांदीनगर पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेन्द्र पुत्र धनपाल निवासी खड्डा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 223/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 15/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3.मु0अ0सं0 84/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 186/2017 धारा 504/506/427 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 34/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 6- मु0अ0सं0 38/2022 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
7. मु0अ0सं0 211/2022 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
8. मु0अ0सं0 22/2023 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अरविन्द सिंह थाना चांदीनगर ।
- 2- है0का0 440 राशिद खान थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट  
थाना छपरौली

दिनांक 19.03.2023

**थाना छपरौली पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा



के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अंकित पुत्र पप्पू उर्फ प्रवेन्द्र निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत।

**गिरफ्तार अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 38/2020 धारा 452/354/504/506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 70/23 धारा 3/10 गुण्डा अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 हरिजेश कुमार थाना छपरौली ।

2-है0का0 353 नरेश कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 19.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 66/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में  
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 66/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अंकित उर्फ माना पुत्र जयवीर निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 271/2017 धारा 398/401 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 66/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 376 राजीव कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 180 सन्जू कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का0 621 प्रदीप कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।